:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 45/19

दायर दिनांकः– 03.05.2016
निर्णय दिनांकः– 17.06.2022

1. श्री वाला पिता पुना भील जाति मीणा निवासी शिशोट तहसील चीखली जिला डूंगरपुर।

वादी

बनाम

1. श्री मोती पिता रावजी भील उम्र वयस्क निवासी शिशोट निवासी शिशोट तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री नानीया पिता रावजी भील निवासी शिशोट तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. हकरी पिता रामा भील निवासी शिशोट तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. श्री पर्वत पिता रामा भील नाबालिंग जरीये माता हकरी निवासी शिशोट तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5. काली पिता रामा भील नाबालिंग माता जरीये माता हकरी निवासी शिशोट तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6. श्री गान भूमिधारी तहसीलदार चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम</u>

<u>एवं 136 एल.आर.एक्ट सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी</u>

उपस्थित– श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की और से

निर्णय दिनांक 17.06.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य होकर मुलपुरूष हलु के वारिसान है। जिनका पारिवारिक सजरा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मुलपुरूष हलु के पुत्र गला के वारिसान है। तथा वादी वाला के पिता पुना व रावजी सगे भाई थे। वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजीयात मौजा शिशोट पार्ट अ के हाल जमाबंदी खाता संख्या 117 नया व पुराना 113 के खसरा नम्बर 71 का रकबा 10 बीघा स्थित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे है। वादी ने एक माह पूर्व लोन लेने हेतु संयुक्त सह खातेदारी विरासती आराजीयात की नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि राजस्व कर्मचारी द्वारा गलती व सेवहन से अकेले प्रतिवादीगणों के नाम से नामान्तरण खोला जाकर दर्ज रिकॉर्ड है।

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

जबकि वादी का नाम दर्ज नहीं किया ऐसे में वादी का नाम प्रतिवादीगणों के साथ में दर्ज रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण को उनके कब्जे काश्त की ग्राम कोचरी की विरासती आराजीयात जो पुर्व में अकेले उनके पिता के नाम दर्ज थी जो कडाणा बांध से अवाप्त हो जाने से उसकी एवज में आवंटित हुई है तथा मौके पर गला के दोनों पुत्रों को कब्जा सुपुर्द किया था लेकिन राजस्व कर्मचारीयों ने भुलवंश सॅपुर्ण वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता रावजी के नाम दर्ज कर दी जिससे वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात वादी के कब्जे काश्त की विरासती आराजीयात कडाणा बांध के निर्माण के अवाप्त किये जाने के बदले में वादी व उसके भाई रावजी को आवंटित हुई थी तथा ग्राम कोचरी की अवाप्त की गयी भुमि जो पूर्व में गला के नाम दर्ज थी जिसे अवाप्त किये जाने के बाद गला की मृत्यु हो जाने से सेटलमेंट कर्मचारीयों व राजस्व कर्मचारीयों ने गला के अवाप्त भुमि की एवज में विस्थापन के रूप में अकेले गला के पुत्र रावजी के नाम दर्ज कर दी है जो कानुनी रूप से गलत है जबकि नियमानुसार गला के दोनों पुत्र के नाम रिकॉर्ड में दर्ज किये जाना आवश्यक है। वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे मात्र नाम के आधार पर भी वे वादी को काश्त में रुकावट पैदा नहीं करे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादीगण की और अधिवक्ता श्रीकांत जैन उपस्थित हुए।

प्रतिवादीगण के और से जवाब प्रस्तुत वादी के वाद को अस्वीकार वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त काश्त की ग्राम कोचरी के खाता संख्या 68, कुल खेत किता 14 कुल रकबा 9 बीघा पर आपसी सहमति से अकेले वादी द्वारा काश्त करने से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के हिस्से में आने से वादी वादग्रस्त आराजी में हिस्सा मांगने का अधिकारी नहीं है। ऐसे में वादी का वाद खारिज किया जाए।

वादी के वाद व जवाब दावे के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादी वाके मौजा शिशोट पार्ट अ के हाल जमाबंदी खाता संख्या 117 नया व पुराना 113 के खसरा नम्बर 71 का रकबा 10 बीघा में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के साथ 1/2 हिस्सा में सहखातेदार के रूप मे नाम दर्ज करवाने व 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2 आया वादी वादग्रस्त आराजी के अपने 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

3 आया वादी वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त काश्त की ग्राम कोचरी के खाता संख्या 68, कुल खेत किता 14 कुल रकबा 9 बीघा पर आपसी सहमति से अकेले वादी द्वारा काश्त करने से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के हिस्से में आने से वादी वादग्रस्त आराजी में हिस्सा मांगने का अधिकारी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

4 अनुतोष

क्रमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

पत्रावली में दिनांक 21.12.2018 को सुनवाई के दौरान बारबार आवाज लगने के बावजुद वकील वादी व प्रतिवादी के अनुपस्थित होने से वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया जिस पर दिनांक 12.02.2019 को वादी ने ऑडर 9 रूल 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी को नोटिस जरीये तलब किया गया। बावजुद बाद तामील नोटिस प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय कार्यवाही कर वाद पुनः नम्बर पर लिया गया उसके बाद वकील प्रतिवादीगण ने हाजिर होकर जवाब देने का अवसर चाहा गया। दिनांक 04.03. 2022 को बारबार आवाज लगाने के बावजुद प्रतिवादीगण वकील हाजिर नहीं होने से प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा वादी ने साक्ष्य प्रस्तुत की। तथा वादी ने अपने समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

13 पीडब्ल्यु 1— वाला पिता पुना भील जाति मीणा निवासी शिशोट
14 पीडब्ल्यु 2— सामा पिता वाला पारगी जाति मीणा निवासी शिशोट
15 प्रदर्श पी—1 भु प्रबन्ध सेलटमेंट विभाग आंशिक प्रतिलिपि
16 प्रदर्श पी—2 नामान्तरण नकल
17 प्रदर्श पी—3 नकल
18 प्रदर्श पी—4 जमाबंदी
19 प्रदर्श पी—5 जमाबंदी मौजा कोचरी दाद कोचरी

पत्रावली एक पक्षीय होने से प्रतिवादी की जिरह बंद की गई। वादी एवं वादी वकील ने अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा। साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस दिनांक 08.04.2022 को पेश है।

पत्रावली में विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई बहस में वकील वादी ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के तथ्यों को दोहराया। वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजीयात मौजा शिशोट पार्ट अ के हाल जमाबंदी खाता संख्या 117 नया व पुराना 113 के खसरा नम्बर 71 का रकबा 10 बीघा स्थित है। वादी ने एक माह पूर्व लोन लेने हेतु संयुक्त सह खातेदारी विरासती आराजीयात की नकले निकलवायी तो जानकारी हुई कि राजस्व कर्मचारी द्वारा गलती व सवहन से अकेले प्रतिवादीगणों के नाम से नामान्तरण खोला जाकर दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि वादी का नाम दर्ज नहीं किया ऐसे में वादी का नाम प्रतिवादीगणों के साथ में दर्ज रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण को उनके कब्जे काश्त की ग्राम कोचरी की सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 2022 के खाता सख्या 13 की विरासती आराजीयात जो पुर्व में वादी व प्रतिवादगण सख्या 1 व 2 के दादा गला के नाम दर्ज भुमी के कडाणा बांध मे अवाप्त हो जाने से उसकी एवज में आवंटित हुई है तथा मौके पर गला के दोनों पुत्रों को कब्जा सुपुर्द किया था लेकिन राजस्व कर्मचारीयों ने भुलवंश सॅपुर्ण वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता रावजी के नाम दर्ज कर दी जिससे वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात वादी के कब्जे काश्त की विरासती आराजीयात कडाणा बांध के निर्माण के अवाप्त किये जाने के बदले में वादी व उसके भाई रावजी को आवंटित हुई थी।

क्रमशः पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

तथा ग्राम कोचरी की अवाप्त की गयी भुमि जो पूर्व में गला के नाम दर्ज थी जिसे अवाप्त किये जाने के बाद गला की मृत्यु हो जाने से सेटलमेंट कर्मचारीयों व राजस्व कर्मचारीयों ने गला के अवाप्त भुमि की एवज में विस्थापन के रूप में अकेले गला के पुत्र रावजी के नाम दर्ज कर दी है जो कानुनी रूप से गलत है जबकि नियमानुसार गला के दोनों पुत्र के नाम रिकॉर्ड में दर्ज किये जाना आवश्यक है। वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है ।

वाद में विद्वान अभिभाषक ने तनकी संख्या 1 व 2 पर साक्ष्य प्रस्तुत किये जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। तनकी संख्या 3 पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मौजा शिशोट पार्ट अ के हाल जमाबंदी खाता संख्या 117 नया व पुराना 113 के खसरा नम्बर 71 का रकबा 10 बीघा भुमी वर्तमान मे प्रतिवादी सख्या एक व दो के नाम दर्ज रेकोर्ड है उक्त आराजी प्रतिवादी सख्या एक व दो के पिता रावजी के नाम वादी के दादा व रावजी के पिता गला की खातेदारी आराजी कडाणा बांध मे डुब क्षेत्र मे जाने की एवज मे आवंटीत हुई थी तथा वादी के दादा व रावजी के पिता गला की वक्त कडाणा बांध के निर्माण व भुमी अवाप्त करने के समय म्रत्यु हो जाने से अवाप्त की गई भुमी की एवज मे शिशोट पार्ट अ मे अकेले गला के एक पुत्र रावजी के 10 बीधा भुमी आवंटीत कर दी जबकि नियमानुसार गला की अवाप्त की गई भुमी की एवज मे गला की अवाप्ती के समय म्रत्यु होने से गला के दोनो पुत्र पुना व रावजी का नाम दर्ज किया जाना था लेकिन दर्ज नही किया गया था । ऐसे में विधि एवं नियमानुसार :-

तनकी सख्या 1 -- वादी के पक्ष में निर्णित की गयी।
तनकी संख्या 2 -- वादी के पक्ष में निर्णित की गयी।
तनकी संख्या 3-- वादी के पक्ष में निर्णित की गयी।

एसे में मौजा शिशोट पार्ट अ के हाल जमाबंदी खाता संख्या 117 नया व पुराना 113 के खसरा नम्बर 71 का रकबा 10 बीघा मे प्रतिवादी के साथ पुना के विधिक वारिसान वाजा एवं उसके सगे भाई रामा के फोत होने से उसके विधिक वारिसान पर्वत, काली एवं हकरी को खातेदार दर्ज कर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया उचित समझता हुं तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना भी उचित समझता हुं कि कि प्रतिवादीगण सख्या एक व दो मौजा शिशोट पार्ट अ के हाल जमाबंदी खाता संख्या 117 नया व पुराना 113 के खसरा नम्बर 71 का रकबा 10 बीघा मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा शिशोट पार्ट अ के हाल जमाबंदी खाता संख्या 117 नया व पुराना 113 के खसरा नम्बर 71 का रकबा 10 बीघा मे दर्ज मे प्रतिवादीगण सख्या एक व दो के साथ वादी व प्रतिवादी सख्या 3 से 5 का दर्ज कर वादी व प्रतिवादी सख्या 3 से 5 को प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है

कमशः पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाता हैकि वे मौजा शिशोट पार्ट अ के हाल जमाबंदी खाता संख्या 117 नया व पुराना 113 के खसरा नम्बर 71 का रकबा 10 बीघा मे वादीगण को उनके स्सि मे काश्त करने मे रुकावट पैदा न तो स्वंय करे न ही मित्र ,एजेन्ट मजदुरो से करावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(श्रीकांत व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जिला डूंगरपुर

आदेश आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीकांत व्यास)
उपखंड अधिकारी
चिखली डूंगरपुर